20 जुलाई को मतदान होगा ओडिशा की पाटकुरा विधानसभा सीट के लिए। इस वर्ष हुए विधानसभा चुनाव के दौरान यहां से बीजू जनता दल के उम्मीदवार वेद प्रकाश अग्रवाल के देहांत के बाद चुनाव आयोग ने इस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया था।

मानहानि मामले में राहुल ने खुद को बताया निर्दोष

कोर्ट में सफाई ▶ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के लिए आरएसएस व उसकी विचारधारा को बताया था दोषी

माकपा नेता सीताराम येचुरी ने भी खुद को बेगुनाह बताया, दोनों नेता करेंगे मुकदमें का सामना

राज्य ब्यूरो, मुंबई

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके राहुल गांधी और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने गुरुवार को अदालत में स्वयं को निर्दोष बताया। इससे साफ हो गया है कि वे इस मुकदमे का सामना करेंगे। राहुल और येचुरी ने बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के लिए आरएसएस और उसकी विचारधारा को दोषी ठहराया था।

दोनों नेताओं के बयान के बाद आरएसएस कार्यकर्ता ध्रुतिमान जोशी ने उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में राहुल गांधी और येचुरी गुरुवार को व्यक्तिगत रूप से मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में पेश हुए। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। राहुल की जमानत मुंबई से कांग्रेस के पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ ने ली। इससे पहले कोर्ट में पेशी के लिए राहुल गुरुवार सुबह करीब 10.15 बजे मुंबई पहुंचे। विमानतल से कोर्ट तक उनके स्वागत में कांग्रेस के झंडे लगाए गए थे। शिवड़ी कोर्ट के बाहर भी कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ थी। मालूम हो कि राहुल गांधी पर मानहानि का एक और मुकदमा ठाणे के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। यह मुकदमा भी आरएसएस को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराने पर एक संघ के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर किया गया था।

आक्रमण हो रहा है, मजा आ रहा है : राहुल

राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा, 'मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूं। किसानों, मजदूरों और गरीबों के साथ खड़ा हूं। आक्रमण हो रहा है, मजा रहा है।' अदालत परिसर से बाहर निकलते वक्त पत्रकारों ने जब राहुल से पूछा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उन पर पार्टी अध्यक्ष पद नहीं छोड़ने का दबाव डाला जा रहा है, क्या वह मानेंगे? इस पर उन्होंने साफ कहा कि उन्हें जो कहना था, वह बुधवार को अपने नोट में कह चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी और जोरों से चलेगी। उन्होंने कहा, जिस तरह पिछले पांच साल में लड़ा हूं, उससे 10 गुना ज्यादा जोश से लड़ूंगा।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को मानहानि मामले में भारी सुरक्षा के बीच मुंबई के मझगांव-शिवड़ी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता धृतिमान जोशी ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में संघ का नाम जोड़े जाने पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। प्रेट्र

कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश रावत ने दिया इस्तीफा

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- फेसबुक पोस्ट के जरिए पूर्व सीएम ने दी अपने इस्तीफे की जानकारी
- केवल राहुल गांधी में ही है कांग्रेस को प्रेरणा देने की क्षमता

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, असम के प्रभारी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पद से इस्तीफा दे दिया है। फेसबुक पोस्ट के जरिये उन्होंने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार एवं संगठनात्मक कमजोरी के लिए हम पदाधिकारीगण उत्तरदायी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी को प्रेरणा देने वाले नेता की आवश्यकता है। यह क्षमता केवल राहुल गांधी में है।

फेसबुक पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि असम में पार्टी के अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न कर पाने के लिए बतौर प्रभारी वह उत्तरदायी हैं। अपनी कमी को स्वीकार कारते हुए अपने महामंत्री के पद से पहले ही त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने कहा कि काम करने के लिए मुझे किसी पद की आवश्यक नहीं हैं। लेकिन प्रेरणा देने वाले नेता जरूरी हैं और प्रेरणा देने की क्षमता केवल राहुल गांधी में है। राहुल गांधी के हाथ में बागडोर रहे तो यह संभव है कि हम 2022 में राज्यों में हो रहे चुनाव में वर्तमान स्थिति को बदल सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल के हाथों पार्टी की बागडोर रहने पर 2024 में भाजपा और नरेंद्र मोदी को परास्त कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि हरीश रावत ने नैनीताल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गए।

हरीश रावत फाइल फोटो

संसद प्रश्नोत्तर

16 भ्रष्ट आइएएस अफसरों पर अभियोजन की दी गई अनुमति

- सरकार ने राज्यसभा में कहा, 36 सीबीआइ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज की गई

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 16 आइएएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। कार्मिक मंत्रालय के राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में दिए गए लिखित जवाब में बताया कि 36 सीबीआइ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें भी दर्ज की गई हैं।

राज्यमंत्री ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्तता के कारण दो आइएएस अधिकारियों को ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-2019 के बीच दो आइपीएस व 15 आइएफएस अधिकारियों के खिलाफ भी अभियोजन की अनुमति दी गई।

एक अन्य सवाल के जवाब में जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को बताया, 'सीबीआइ के पास अपने अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों एवं आंतरिक सतर्कता मामलों के निपटारे के लिए मजबूत तंत्र है। 2016 से 31 मई 2019 के बीच 36 अधिकारियों एवं अन्य के खिलाफ 10 प्राथमिक जांच एवं 20 नियमित मामले दर्ज किए गए हैं।'

उन्होंने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2016 से दो जुलाई 2019 के बीच छह अधिकारियों (दो शिकायतों में सीबीआइ अधिकारी के नामों का उल्लेख नहीं) की संलिप्तता वाली सात शिकायतों का संज्ञान लिया गया। सीवीसी ने इन शिकायतों को सीबीआइ के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीसी) के पास जांच एवं रिपोर्ट के लिए भेज दिया है।

13 भाषाओं में भी होगी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भर्ती परीक्षा

नई दिल्ली, प्रेट्र : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में स्केल-1 अधिकारी और कार्यालय सहायक की सीधी भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाएं अब अंग्रेजी एवं हिंदी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं (जिन 13 भाषाओं में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उनमें असमी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू व उर्दू) में भी आयोजित की जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में स्वतः दिए बयान में कहा, इससे क्षेत्रीय भाषाओं में दक्ष लोगों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नौकरी पाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, 'स्थानीय युवकों के लिए समान अवसर मुहैया कराने और रोजगार का दायरा बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

मुलाकात : गुरुवार को बजट सत्र में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता मोती लाल वोरा से संसद परिसर में बातचीत करती केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री व अमेठी से भाजपा सांसद स्मृति ईरानी। प्रेट्र

गांधी परिवार के बिना होगी इस बार कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक!

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे को मंजूर करने और नया अध्यक्ष चुनने के लिए इस बार कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बिना गांधी परिवार के होने की संभावना है।

कार्यसमिति बैठक की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन इसके अगले हफ्ते होने की संभावना है। इस बीच, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी मेडिकल चेकअप के लिए अगले कुछ दिनों में विदेश जा रही हैं। उनके पुत्र राहुल गांधी के भी उनके साथ जाने की पूरी संभावना है। राहुल की बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहले से विदेश में हैं और उनके जल्द लौटने की कोई संभावना नहीं है। लिहाजा कार्यसमिति की बैठक में गांधी परिवार के किसी भी सदस्य के मौजूद रहने की संभावना नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि पार्टी के अगले अध्यक्ष को लेकर कोई भी फैसला उनकी सहमति के बिना नहीं लिया जाएगा। ध्यान रहे राहुल गांधी ने बुधवार को अपने इस्तीफे को सार्वजनिक करते हुए कहा था कि वह चाहते हैं कि पार्टी की कमान अब नए हाथों में जाए। इस मामले में किसी भी दबाव से मुक्ति के लिए वह नए प्रमुख की चयन प्रक्रिया से दूर रहेंगे।

'कठपुतली' नहीं, बल्कि 'सेनापति' सरीखा अध्यक्ष तलाश रही कांग्रेस

संजय मिश्र, नई दिल्ली

- बदले सामाजिक-राजनीतिक हालात के मद्देनजर संगठन से जुड़े मुखर हिंदी भाषी चेहरे को नेतृत्व देने पर गंभीर मंत्रणा

राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में नए पार्टी अध्यक्ष की तलाश पर वरिष्ठ नेताओं के बीच अनौपचारिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। चुनावी हार के बाद राहुल के इस्तीफे को पार्टी के इतिहास का सबसे गंभीर संकट मान रहे कांग्रेस दिग्गजों का मानना है कि इस हालात में कार्यकर्ताओं में भरोसा पैदा करने के साथ ही जनता से तार जोड़ने वाले चेहरे का नेतृत्व अपरिहार्य हो गया है। पार्टी में इस पर दो राय नहीं है कि मौजूदा हालात में पार्टी को 'वार टाइम जनरल' (युद्ध में मोर्चा संभालने वाला सेनापति) की जरूरत है और कठपुतली अध्यक्ष बनाए जाने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। पार्टी में इस बात पर भी दो राय नहीं कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक पराक्रम को चुनौती देने के लिए मुखर ही नहीं, हिंदी भाषी चेहरा होना भी बेहद जरूरी है। तभी उत्तर से लेकर पश्चिम और मध्य से लेकर पूर्वी भारत में भाजपा के एकतरफा संवाद को चुनौती दी जा सकेगी।

सूत्रों ने बताया कि नए अध्यक्ष के लिए जिन चेहरों के नाम चर्चा में हैं, उनके अलावा कुछ दूसरे नामों को संभावित दावेदारों की सूची में शामिल कर चिंतन-मनन किया जाएगा। इसी वजह से कार्यसमिति बैठक की तारीख तय नहीं हुई है। मगर यह लगभग तय है कि अगले हफ्ते कार्यसमिति की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें राहुल का इस्तीफा मंजूर कर नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा।

संगठन से जुड़े चेहरे को नया अध्यक्ष बनाने पर हो रहे मंथन पर वरिष्ठ सूत्र ने कहा कि ऐसा व्यक्ति संगठन के साथ-साथ कार्यकर्ताओं और नेताओं के मिजाज को समझते हुए बेहतर समन्वय कर सकेगा। गांधी परिवार से बाहर के अध्यक्ष बने व्यक्ति के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं का भरोसा अर्जित करना कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में संगठन का अनुभव उसके लिए कारगर होगा। लोकसभा चुनाव में 17 राज्यों में खाता भी नहीं खुलने की स्थिति को अब कांग्रेस में अस्तित्व की बड़ी लड़ाई माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों ने कहा, इसीलिए किसी रीढ़विहीन व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए जाने की न कोई गुंजाइश है और न हालात। बेशक कांग्रेस का नया अध्यक्ष गांधी परिवार का भरोसेमंद होगा मगर कठपुतली नहीं। दक्षिण भारत से ताल्लुक रखने वाले पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में नेतृत्व के सबसे बेहतर चेहरे को कमान देने की संभावना इसीलिए भी ज्यादा है कि उत्तराधिकारी तय करने में राहुल गांधी का नजरिया सबसे प्रभावी भूमिका निभाएगा। इस वक्त सोनिया गांधी के लिए भी अड़चन की गुंजाइश खोजना आसान नहीं होगा। नए अध्यक्ष के चयन में कांग्रेस देश के बदले सामाजिक-राजनीतिक समीकरण की अनदेखी भी नहीं करना चाहती। इसीलिए चाहे सुशील कुमार शिंदे और मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी पर विचार किया जा रहा हो, मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा और अशोक गहलोत जैसे नेताओं के नाम भी चर्चा की दौड़ से बाहर नहीं माने जा रहे।

बिजली की खपत नहीं बढ़ातीं कांच की इमारतें

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने स्पष्ट किया है कि इमारतों के आगे के हिस्से में कांच के प्रयोग से बिजली की खपत बढ़ने का कोई प्रमाण नहीं है। बल्कि सही तरीके से डिजाइन किया जाए, तो ऐसी इमारतें फायदेमंद साबित हो सकती हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी दी। वह इस प्रश्न पर जानकारी दे रहे थे कि क्या ऊर्जा संरक्षण से जुड़े लोगों ने इमारतों में कांच के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताई है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है।

मंत्री ने कहा, 'हमारा प्रयास यही है कि ऐसी इमारतें बनें जो पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ और बेहतर हों। ऐसा कोई भी प्रमाण सामने आया कि कांच के इस्तेमाल से ऊर्जा की खपत बढ़ती है, तो उस पर विचार होगा।' अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि वह अमेरिका में पांच साल ट्रंप टावर में रहे हैं। यह पूरी इमारत शीशे की बनी है। उन्होंने ऐसी जानकारी होने से इन्कार किया कि किसी ने कांच के प्रयोग पर नियंत्रण की दिशा में कदम उठाने का कोई सुझाव दिया है। मंत्री ने कहा, 'इमारत का अगला हिस्सा दक्षिण की ओर खुलता हो, तो कांच के इस्तेमाल से ऊर्जा की खपत बढ़ती है। उत्तर की ओर हो, तो खपत कम हो जाती है। पूरब और पश्चिम के मामले में खपत पर कोई असर नहीं पड़ता।'

राज्यसभा में उठा खरबूजे को इंजेक्शन लगाकर मीठा बनाने का मामला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राज्यसभा में खाद्य उत्पादों में मिलावट का मुद्दा जोरशोर से उठाया गया। भाजपा सदस्य विजयपाल सिंह तोमर ने शून्यकाल में सदन को खरबूजे को मीठा बनाने वाले इंजेक्शन की जानकारी दी। उन्होंने कहा, इस लाइलाज हो रही गैर वाजिक गतिविधि पर अंकुश की सख्त जरूरत है। तोमर ने कहा, खरबूजे के खेत में महिलाओं व बच्चों को उन्होंने ऐसा करते हुए पाया।

तोमर ने कहा, बच्चों के खाद्य उत्पादों से लेकर हर छोटी बड़ी चीजों पर मिलावटखोरों की नजर है। पहले यह समस्या आमतौर पर शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब इसका प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो गया है। दूध में न जाने क्या कुछ मिला दिया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होता है। नकली मावा से बाजार पटा हुआ है। मसालों व दालों में मिलावट हो रही है। दवाइयां नकली आने लगी हैं। आटा में सेलखड़ी का पाउडर, पिसी हुई हल्दी में पीली मिट्टी, कालीमिर्च में पपीते का बीज तथा कटी हुई सुपारी में कटे हुए छुआरे की गुठलियां मिलाना तो आम हो गया है। सदन के ज्यादातर सदस्यों ने तोमर के उठाए इस मुद्दे से खुद को संबद्ध किया।

12 पायलटों की विमान उड़ाने की अनुमति रद, मांगा जवाब

नई दिल्ली, प्रेट्र : डीजीसीए ने हाल ही में रनवे और टैक्सीवे से विमानों के फिसलने के छह मामलों में कड़ी कार्रवाई की है। उसने 12 पायलटों की विमान उड़ाने की अनुमति को रद करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

स्पाइसजेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस और गोएयर के क्रमशः तीन, दो व एक विमान हाल के दिनों में रनवे और टैक्सीवे से फिसल गए थे। इसी सिलसिले में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 12 पायलटों के खिलाफ कार्रवाई की है।

उल्लेखनीय है कि जयपुर से मुंबई जा रहा स्पाइसजेट का विमान सोमवार को भारी बारिश के कारण लैंडिंग के समय रनवे से फिसलकर पास की घास में फंस गया था। इस वजह से मुख्य रनवे को बंद करना पड़ा था। 30 जून को भोपाल से आ रहा स्पाइसजेट का एक अन्य विमान भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण सूरत हवाईअड्डे पर रनवे से नीचे उतर गया था। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बताया कि इन घटनाओं में शामिल दोनों विमानों के पायलटों को डीजीसीए के निर्देशानुसार निलंबित कर दिया गया है।

- डीजीसीए ने रनवे और टैक्सीवे से छह विमानों के फिसलने के मामलों में की कार्रवाई
- स्पाइसजेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस और गोएयर के विमान लैंडिंग के दौरान हुए थे हादसे के शिकार

दो जुलाई को भी स्पाइसजेट का एक विमान कोलकाता हवाईअड्डे पर लैंडिंग के समय रनवे से फिसल गया था। इससे चार लाइटें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। उसी दिन एअर इंडिया एक्सप्रेस का दम्माम (सऊदी अरब) से आ रहा विमान कालीकट हवाईअड्डे पर लैंडिंग के समय क्षतिग्रस्त हो गया था। उसकी पूंछ (पीछे का हिस्सा) टकरा गई थी। 30 जून को एअर इंडिया एक्सप्रेस का एक अन्य विमान मेंगलुरु हवाईअड्डे पर लैंडिंग के बाद टैक्सीवे से फिसलते हुए जमीन में धंस गया था। उसी दिन गोएयर का बेंगलुरु से आ रहा विमान रांची हवाईअड्डे पर लैंडिंग के समय क्षतिग्रस्त हो गया था। उसकी भी पूंछ टकरा गई थी। एअर इंडिया एक्सप्रेस व गोएयर की डीजीसीए की कार्रवाई पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है।

लौह अयस्क खनन के पट्टों पर केंद्र से जवाब तलब

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने लौह अयस्क के 358 खनन पट्टों को रद करने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन खदानों का नए सिरे से मूल्यांकन कराए बिना ही इनमें खनन के लिए कंपनियों के पट्टे की अवधि बढ़ा दी गई है या नए आवंटन किए गए हैं।

जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस बीआर गवई की पीठ के सामने केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएनएस नाडकर्णी ने दलील दी कि दुर्भावना के साथ यह याचिका दायर की गई है और जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया। पीठ ने चार हफ्ते का समय देते हुए कहा कि इस मामले पर विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है।

याचिका दायर करने वाले वकील एमएल शर्मा ने आरोप लगाया है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही इन खनन पट्टों की अवधि बढ़ाई गई है या पट्टे आवंटित किए गए हैं। शीर्ष अदालत ने 16 अप्रैल को केंद्र से कहा था कि वह शर्मा की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे। इस याचिका में शर्मा ने सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अदालत की मदद करने के लिए वरिष्ठ वकील पीएस नरसिम्हा को न्याय मित्र नियुक्त किया है।

शर्मा ने याचिका में आरोप लगाया है कि इस साल फरवरी में उन्हें जानकारी मिली कि राजनीतिक दलों को 'चंदे में बड़ी रकम' देने के बदले में 288 खनन पट्टों की अवधि बढ़ा दी गई है। याचिका के अनुसार इससे सरकारी खजाने को चार लाख करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ है। याचिका में खदानों से निकाले गए खनिज के बाजार मूल्य की वसूली का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। साथ ही इस प्रकरण की न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग भी की गई है।

- सुप्रीम कोर्ट से की गई है 358 खनन पट्टे रद करने की मांग
- नियमों का उल्लंघन कर पट्टे देने या अवधि बढ़ाने का आरोप

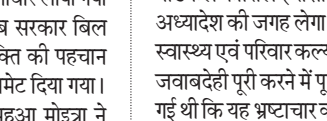

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

हाई कोर्ट में स्वीकृत पदों के मुताबिक न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए शीर्ष अदालत में याचिका

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट में स्वीकृत पदों के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति में तेजी लाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इससे न्याय मिलने में देरी से परेशान वादियों की जरूरत पूरी हो सकेगी। यह याचिका उत्तराखंड के वकीलों के समूह यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दायर की है।

याचिका दायर करने वाले समूह ने कहा है कि विभिन्न हाई कोर्ट के साथ ही साथ शीर्ष कोर्ट में कुछ नियुक्तियां हुई हैं। लेकिन एक जून 2019 तक हाई कोर्टों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों में से करीब 39 फीसद खाली थे। कानून मंत्रालय की पिछले साल की रिपोर्ट में कहा गया था कि अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 22,474 है और हाई कोर्ट में स्वीकृत पदों की संख्या 1,079 है। वकीलों के संगठन ने कहा है कि राज्य और उसके अधिकारी संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत भारतीय नागरिकों के प्रदत्त बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं।

उन्मादी भीड़ की हिंसा पर तुरंत सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एएनआइ : सुप्रीम कोर्ट ने उन्मादी भीड़ (मॉब लिंचिंग) की हिंसा को लेकर दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इन्कार कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इसपर उचित तरीके से ही सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने तुरंत सुनवाई का आग्रह किया गया था।

याचिका में उल्लेख किया गया है कि उन्मादी भीड़ की हिंसा पर पिछले वर्ष जुलाई में शीर्ष कोर्ट के दिए गए फैसले का अनुपालन नहीं किया गया है। कोर्ट ने तब कहा था कि उन्मादी भीड़ के भयावह कारनामे को देश के कानून को कुचलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने उन्मादी भीड़ हिंसा और कथित गोरक्षकों से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।

टिक टॉक पर पाबंदी के मामले मद्रास हाई कोर्ट से स्थानांतरित करने से इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने चीन के सोशल मीडिया एप टिक टॉक पर पाबंदी से संबंधित मामले मद्रास हाई कोर्ट से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने से गुरुवार को इन्कार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ चीन की कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के इस तर्क से सहमत नहीं थी कि मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ में लंबित टिक टॉक से संबंधित सारे मामले तेजी से निपटारे के लिए शीर्ष अदालत में स्थानांतरित कर दिए जाएं। पीठ ने कहा, 'हम स्थानांतरण याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।' शीर्ष कोर्ट ने कहा, कंपनी अपनी बात संबंधित हाई कोर्ट में रख सकती है। इसके बाद चीनी कंपनी ने याचिका वापस ले ली। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि अंतरिम राहत के रूप में टिक टॉक पर लगाया गया प्रतिबंध हटाने के आवेदन पर वह 24 अप्रैल तक फैसला करे। हाई कोर्ट ने 24 अप्रैल को इस एप पर लगाया गया प्रतिबंध इस शर्त के साथ हटा दिया था कि इस पर अश्लील वीडियो नहीं दिखाए जाएंगे।

आश्वासन

लोकसभा से पारित हुआ आधार संशोधन विधेयक, विपक्षी दलों ने की डाटा संरक्षण पर विधेयक की मांग, सरकार बोली- डाटा हासिल करने की इजाजत नहीं है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सजा भुगतनी पड़ेगी

आधार न होने पर कोई सेवा से वंचित नहीं होगा : रविशंकर प्रसाद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोकसभा ने गुरुवार को 'आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक 2019' को मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें बैंक में खाता खोलने, मोबाइल फोन का सिम लेने के लिए आधार को स्वैच्छिक बनाया गया है। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार को सुरक्षित बताते हुए आश्वासन दिया कि सरकार जल्द ही डाटा संरक्षण विधेयक लाएगी और इसकी प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि आधार संशोधन विधेयक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में लाया गया है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी के पास आधार नहीं होने की स्थिति में उसे सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता।

केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि निजी कंपनी को आधार का कोर डाटा हासिल करने की इजाजत नहीं है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि आधार संप्रग सरकार के समय जरूर आरंभ हुआ था, लेकिन उस वक्त वह निराधार था और मोदी सरकार ने इसे कानून बनाया है। प्रसाद ने कहा कि देश की 130 करोड़ की आबादी में 123.8 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड हैं। देश में 69 करोड़ मोबाइल फोन कनेक्शन आधार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आधार को सुरक्षित करार देते हुए कहा कि देश की जनता ने आधार की उपयोगिता को स्वीकार किया है।

कानून मंत्री के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियां आधार का इस्तेमाल ग्राहकों की सहमति पर ही कर सकती हैं। साथ ही धारकों को वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है, जिसमें वे पासपोर्ट, राशन कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। रविशंकर ने आधार के फायदे बताते हुए कहा कि आधार के जरिये सरकार के 1.41 लाख करोड़ रुपये बचे हैं और लोगों तक सरकारी सेवाएं आसानी से पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि जब देश में ईमानदार सरकार होगी तब कुछ लोगों को परेशानी होगी।

विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार बार-बार अध्यादेश का रास्ता अपना रही है जो लोकतंत्र कमजोर करने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने आधार को संप्रग सरकार से उधार लिया है, लेकिन वह श्रेय नहीं देना चाहती। कांग्रेस के ही सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि किसी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार लाया गया था। लेकिन 2016 में जब सरकार बिल लेकर आई तो उसमें व्यक्ति की पहचान को सिर्फ एक नंबर तक समेट दिया गया।

तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने आधार के साथ ही डाटा संरक्षण के लिए भी कदम उठाने की जरूरत बताई। बीजद के पिनाकी मिश्रा ने आधार कानून को महत्वपूर्ण और अच्छा बताते हुए साथ में डाटा संरक्षण विधेयक भी लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि डाटा संरक्षण नहीं होने के कारण इसमें कई चुनौतियां हैं। मिश्रा ने कहा कि कुछ एजेंसियां हैं जो अपने फायदे के लिए लोगों के निजी आंकड़ों का इस्तेमाल कर रही हैं।

एमसीआइ संशोधन विधेयक पर संसद ने लगाई मुहर

नई दिल्ली, प्रेट्र : संसद ने मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया (एमसीआइ) सितंबर 2020 तक दो साल के लिए शक्ति छीनने वाले विधेयक को पारित कर दिया। राज्यसभा में गुरुवार को ध्वनिमत से यह विधेयक पारित हो गया। मंगलवार को ही लोकसभा ने विधेयक पर मुहर लगा दी थी। इंडियन मेडिकल कौंसिल (संशोधन) विधेयक 2019, 21 फरवरी को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि मेडिकल कौंसिल जवाबदेही पूरी करने में पूरी तरह विफल रहा और देश में व्यापक धारणा बन गई थी कि यह भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गया है। उन्होंने कहा कि गणमान्य डॉक्टरों को बोर्ड आफ गवर्नर्स (बीओजी) के रूप में जवाबदेही निभाने की शक्ति प्रदान की गई है और यह प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'हम (सरकार) उनके काम में दखल नहीं दे रहे हैं लेकिन हम उनके कामकाज पर गहरी नजर रख रहे हैं।' बोर्ड आफ गवर्नर्स के विभिन्न कदमों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जहां 2018-19 के दौरान कुल 21 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई थी वहीं 2019-20 में यह संख्या बढ़कर 27 हो गई है। उन्होंने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या भी वर्तमान वर्ष में बढ़कर 35,327 हो गई है। 2018-19 में सीटों की संख्या 33,422 थी। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए करीब 59 लोग प्रणाली से हटाए गए हैं।

कह के रहेंगे माधव जोशी